

## Statement

|                                                                                               | Km   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1. Bikaner-Merta-Ajmer-Bhilwara-Chittorgarh-Ratlam-Indore (from NH-15 to NH 3)                | 455  |
| 2. Gurgaon-Alwar-Sariska-Dausa-Sawaimadhopur-Shivpuri                                         | 270  |
| 3. Kosi-Kama-Deeg-Bharatpur-Roopwas-Sepau-Dholpur                                             | 140  |
| 4. Extension of NH-11A from Chandwaji (on NH 8) to Chomu (NH.11) and Chomu to Bagru (on NH 8) | 75   |
| 5. Abu-Udaipur-Chittorgarh-Bijolia-Kota-Baran-Shivpuri                                        | 540  |
| Total :                                                                                       | 1480 |

## गुजरात में राजमार्गों पर मार्गस्थ सुविधायें

3977. श्री राम सिंह राठवा :  
क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह  
बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में  
राष्ट्रीय राजमार्गों पर मार्गस्थ सुविधायें  
उपलब्ध नहीं कराई गई हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या  
कारण हैं ; और

(ग) ये मार्गस्थ सुविधायें उपलब्ध  
कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम  
उठाये जा रहे हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य  
मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) :

(क) से (ग) : जी नहीं । राष्ट्रीय  
राजमार्गों का विकास एक सतत प्रक्रिया  
है और कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता  
तथा निधियों की उपलब्धता को ध्यान  
में रखते हुए पारगमन सुविधाओं सहित  
अनेक सुधार कार्यों की स्वीकृति दी जाती  
है । तदनुसार गुजरात में 1982 से अब  
तक सत्रह कार्यों को स्वीकृति दी गई है ।  
इनमें से 144.34 लाख रु. की लागत  
वाले 14 कार्य पहले ही पूरे किये जा  
चुके हैं और 53.03 लाख रु. की  
लागत वाले शेष तीन कार्य प्रगति के  
विभिन्न चरण में हैं ।

अन्तर्राज्यीय मार्गों और पुलों के निर्माण  
के लिए मध्य प्रदेश को सहायता

3978. श्री कैलाश नारायण सारंग :  
श्री विलीप सिंह जूदेव :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह  
बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्त-  
र्राज्यीय मार्गों और पुलों का निर्माण  
राज्यों के बीच 50 : 50 लागत के आधार  
पर होता है ; और

(ख) क्या मध्य प्रदेश की विशेष  
परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए  
केन्द्रीय सरकार अन्तर्राज्यीय मार्गों/पुलों  
के निर्माण के लिये मध्य प्रदेश को विशेष  
केन्द्रीय सहायता के रूप में कुल लागत  
की एक तिहाई राशि प्रदान करने पर  
विचार करेगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य  
मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) :

(क) जी, नहीं । भारत सरकार,  
अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व के  
केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत  
अनुमोदित अन्तर्राज्यीय महत्व के कार्यों  
के लिये 100% ऋण सहायता उपलब्ध  
कराती है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।